

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 25/08/2023

संकल्प

विषय : सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 में संशोधन के संबंध में।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3336/वि० दिनांक 17.09.2014 के द्वारा विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित किया गया था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017, संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 एवं संकल्प संख्या 518/वि० दिनांक 01.03.2019 तथा संकल्प संख्या 1921/वि० दिनांक 26.08.2018 के द्वारा केन्द्र के अनुरूप विभिन्न भत्ते अनुमान्य किये गये हैं।

3. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के सेवकों को अनुमान्य विभिन्न भत्तों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) के द्वारा पुनरीक्षित किया गया है।

वायुयान से यात्रा संबंधित उक्त संकल्प कंडिका-5(V)(A)(क) के अनुसार :-

क्र०	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 16 तथा Level 17 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	एक्जेक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
2	Level 13A, 14 तथा 15 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	इकोनोमी श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
3	Level 11, 12 एवं 13 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वायुयान से इकोनोमी श्रेणी में यात्रा की अनुमति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकेगी :- (a) इस प्रावधान का उपयोग अत्यंत ही विशेष परिस्थिति में किया जाय। (b) यात्रा व्यय मद में उपबंधित राशि को भी ध्यान में रखा जाय। (c) स्वीकृति आदेश में अत्यंत विशेष परिस्थिति को स्पष्ट किया जाय।

4. भारत सरकार के केन्द्रीय कर्मियों के यात्रा भत्ता से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के OM No. 19030/1/2017-E.IV दिनांक 13.07.2017 के साथ संलग्न ANNEXURE की कंडिका-2 में निम्न प्रावधान है :-

2. Entitlements for Journeys on Tour or Training

A.(i) Travel Entitlements within the Country



Pay Level in Pay Matrix	Travel Entitlements
14 and above	Business/Club class by air or AC-I by Train
12 and 13	Economy class by air or AC-I by Train
6 to 11	Economy class by air or AC-II by Train
5 and below	First Class/AC-III/AC Chair Car by Train

5. वित्त विभाग के समक्ष ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं, जिसमें सरकारी कर्मी द्वारा समयाभाव के कारण विशेष परिस्थिति में वायुयान से यात्रा की जाती है, परन्तु वायुयान से यात्रा की अनुमान्यता नहीं होने के कारण भुगतान में कठिनाई होती है, जबकि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सरकारी आदेश से यात्रा की जाती है।

6. उपरोक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) की कंडिका-5(V)(A)(क) में निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया है :-

क्र०	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 15, Level 16 एवं Level 17 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	एकजेक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
2	Level 12, Level 13, Level 13A एवं Level 14 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	इकोनोमी श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
3	Level 10 एवं 11 का वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी सेवक	वायुयान से इकोनोमी श्रेणी में यात्रा की अनुमति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकेगी :- (a) इस प्रावधान का उपयोग अत्यंत ही विशेष परिस्थिति में किया जाय। (b) यात्रा व्यय मद में उपबंधित राशि को भी ध्यान में रखा जाय। (c) स्वीकृति आदेश में अत्यंत विशेष परिस्थिति को स्पष्ट किया जाय।

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8. यह आदेश दिनांक 01.08.2023 के प्रभाव से लागू होगा।

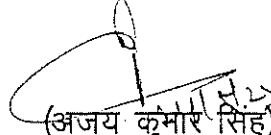
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2239/वि० दिनांक 25.07.2023 के क्रम में दिनांक 11.08.2023 की बैठक के मद सं० 13 में दी गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

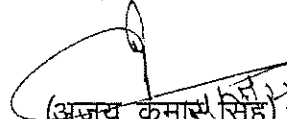
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

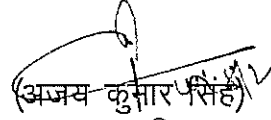
ज्ञापांक : 12/एस०-विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)-55/20172539/राँची, दिनांक 25/08/2023
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०-विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)-55/20172539/राँची, दिनांक 25/08/2023
प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखंड/वित्त विभाग, झारखंड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०-विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)-55/20172539/राँची, दिनांक 25/08/2023
प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा-12 को सूचना उपलब्ध करावें।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।